



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-04042020-219004
CG-DL-W-04042020-219004

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 11] नई दिल्ली, मार्च 15—मार्च—21, 2020, शनिवार/फाल्गुन 25, 1941—चैत्र 1, 1942
No. 11] NEW DELHI, MARCH 15—MARCH 21, 2020, SATURDAY/PHALGUNA 25, 1941—CHAITRA 1, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली, 11 मार्च, 2020

का.आ. 371.—केन्द्र सरकार, एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 की अधिनियम संख्या 25) की धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा की राज्य सरकार, गृह विभाग, द्वारा जारी सरकारी आदेश सं. 20/09/2019-3एचजीआई, चण्डीगढ़, दिनांक 18/27 सितम्बर, 2019, के माध्यम से प्राप्त सहमति से, भारतीय दंड संहिता, 1860 (वर्ष 1860 की अधिनियम सं. 45) की धारा 363/366ए के तहत दर्ज एफआईआर सं. 136 दिनांक 28.06.2018, बावल पुलिस थाना, जिला-रिवाड़ी, हरियाणा का अन्वेषण करने तथा ऐसे एक या अधिक अपराधों से जुड़े या उससे संबद्ध किसी

दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध(धों) का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त हरियाणा राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/27/2019-एवीडी-II]

संजय कुमार चौरसिया, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 11th March, 2020

S.O. 371.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Haryana, Home Department, issued vide Government Order No. 20/9/2019-3HGI, Chandigarh dated 18/27 September, 2019, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment in whole State of Haryana for investigation of case FIR No. 136 dated 28.06.2018 u/s 363/366A of the Indian Penal Code, 1860 (Act No. 45 of 1860), P.S. Bawal, District Rewari, Haryana and any attempt, abetment and conspiracy in relation to or in connection with one or more such offence(s) and/or for any other offence(s) committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/27/2019-AVD-II]

SANJAY KUMAR CHAURASIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2020

का.आ. 372.—केन्द्र सरकार, एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 की अधिनियम संख्या 25) की धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल सरकार द्वारा जारी अधिसूचना, जी.ओ. (एमएस) सं. 70/2019/होम, तिरुवनंतपुरम, दिनांक 07 जून, 2019, के माध्यम से प्राप्त सहमति से, वालियाथुरा पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता (वर्ष 1860 की अधिनियम सं. 45) की धारा 406, 420 के तहत दर्ज अपराध सं. 1089/2012 (सीबीसीआईडी अपराध सं. 1001/सीआर/ईओडब्ल्यू-1/केएलएम/2012) से संबंधित अपराधों का अन्वेषण करने तथा विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम, 2010 (2010 की अधिनियम संख्या 42) के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों, गुड सैमैरिटन प्रोजेक्ट इंडिया और कैथोलिक रिफॉर्मेशन लिटरेचर सोसाईटी द्वारा किए हुए अभिकथित अपराधों से संबंधित अन्वेषण तथा ऐसे एक या अधिक अपराधों से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध(धों) का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त केरल राज्य में करती है।

[फा. सं. 228/29/2019-एवीडी-II]

संजय कुमार चौरसिया, अवर सचिव

New Delhi, the 11th March, 2020

S.O. 372.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Kerala, issued vide Notification G.O. (Ms.) No. 70/2019/Home, Thiruvananthapuram, dated 07 June, 2019, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to whole State of Kerala for the investigation into the offences relating to Crime No. 1089/2012 of Valiyathura Police Station (CBCID Crime No. 1001/Cr/EOW-1/KLM/2012) u/s 406, 420 of the Indian Penal Code (Act No. 45 of 1860) and the offences under Foreign Contribution Regulation Act, 2010 (Act No. 42 of 2010) alleged to have been committed by Non-Governmental Organisations, Good Samaritan Projects India and Catholic Reformation Literature Society and any attempt, abetment and conspiracy in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence(s) committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/29/2019-AVD-II]

SANJAY KUMAR CHAURASIA, Under Secy.

नागर विमानन मंत्रालय

(एएआई अनुभाग)

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2020

का.आ. 373.—भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का संख्या 55) के खंड 3 तथा खंड 5 के उप-खंड 1(ii) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा, श्री विमलेन्द्र आनन्द पटवर्धन, संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के निदेशक मंडल के अंशकालिक सदस्य के पद पर तत्काल प्रभाव से दिनांक 25.10.2022 तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, श्री प्रवीण गर्ग, पूर्व अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय के स्थान पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. एवी-24011/4/2020-एएआई-ना.वि.मं.]

नरेन्द्र सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(AAI SECTION)

New Delhi the 13th February, 2020

S.O. 373.—In exercise of the powers conferred under Section 3 and sub-section 1(ii) of Section 5 of the Airports Authority of India Act, 1994 (No. 55 of 1994), the Central Government hereby appoints Shri Vimalendra Anand Patwardhan, Joint Secretary and Financial Advisor, Ministry of Civil Aviation vice Shri Praveen Garg, former AS&FA (Additional Charge), Ministry of Civil Aviation, as part-time Member on the Board of Airports Authority of India with immediate effect for a period till 25.10.2022 or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. AV-24011/4/2020-AAI-MOCA]

NARENDRA SINGH, Under Secy.

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2020

का.आ. 374.—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि तमिलनाडू राज्य के सेलम को केरल राज्य में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कोच्चि रिफाइनरी से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के परिवहन के लिए, एक पाइपलाईन कोच्चि सेलम पाइपलाइन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50), की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिये उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री बशीरकुंजु ए. सक्षम प्राधिकारी, कोच्चि सेलम पाइपलाइन प्राइवेट लिमिटेड, करुण एक्लेव, द्वितीय तल, डोर नं. बी-2, एस एन जंक्शन, रिफाइनरी रोड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सामने, त्रिपुनिथुरा, जिला ऐरनाकुलम, केरल - 682301 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

राज्य: केरल

जिला: ऐरनाकुलम

तालुक: आलुवा

नाम ग्राम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल (अनुमानित)		
		हेक्टेयर	एरिया	प्रति वर्गमीटर
कीज़माड़ (खण्ड सं. 32)	142 / 12	0	04	80
वडक्कुम्बागम (खण्ड सं. 28)	306 / 2	0	02	75
	306 / 3	0	05	25
	306 / 9	0	02	60
अंगमाली (खण्ड सं. 12)	110 / 9	0	04	65
	110 / 10	0	01	93
	117 / 1	0	00	80
	117 / 2	0	00	80

[फा. सं. आर-12031 / 196 / 2017-ओआर-I / ई-19746]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 12th March, 2020

S.O. 374.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Liquefied Petroleum Gas from Kochi Refinery of Bharat Petroleum Corporation Limited in the State of Kerala to Salem in the State of Tamil Nadu and that the a pipeline should be laid by M/s. Kochi – Salem pipeline Private Ltd;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the lands under which such pipelines are proposed to be laid described in the schedule annexed to this notification;

Now therefore in the exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (Central Act 50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Any person, interested in land described in the said schedule may, within 21 days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying or the pipeline under the land to

Sri. Basheerkunju. A, Competent Authority, Kochi-Salem Pipeline Private Ltd., Karun Enclave, 2nd floor, Door No. B2, S.N. Junction, Refinery Road, Tripunithura, Pin – 682 301.

SCHEDULE**STATE : KERALA****DISTRICT : ERNAKULAM****TALUK : ALUVA**

VILLAGE	SURVEY NUMBERS	AREA (APPROXIMATE)		
		HECTARES	ARES	SQ:METERS
KEEZHMADU (BLOCK. NO.-32)	142/12	0	04	80
VADAKKUMBHAGAM (BLOCK. NO.- 28)	306/2	0	02	75
	306/3	0	05	25
	306/9	0	02	60
ANGAMALY (BLOCK . NO.- 12)	110/9	0	04	65
	110/10	0	01	93
	117/1	0	00	80
	117/2	0	00	80

[F. No. R-12031/196/2017-OR-I/E-19746]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.